

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिधत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु भिवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। सवा दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
माफिया	98	पूरराम पिं मांगू जाति	37		पूरराम पिं मांगू	37	
		जाट रीख अरुण	38	कुल =	जाति जाट रीख	38	कुल
			39	17.47		39	17.47
			40	280	अरुण	40	
			42			42	
			43			43	

क्रमांक :-

545/26.X.21

प्रतिनिधि पालनाथ :-


1. उप तहसीलदार, भौलासर


क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालनाथ :-

1. पटवार हल्का 7.18.11 को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रथगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, भौलासर

  
 शिक्षर प्रसादी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी.बाना)  
 PGKSA-2021, प.स. भौलासर  
 दिनांक :-

  
 शिक्षर प्रसादी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी.बाना)  
 PGKSA-2021, प.स. भौलासर  
 दिनांक :-